


RAJASTHAN STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT &  
INVESTMENT CORPORATION LIMITED  
Udyog Bhawan, Tilak Marg, Jaipur-302 005

No: A.1(1)112/2015  
May 11, 2015

**OFFICE ORDER**

In continuation to the Office Order No. A.1(1)112/2015 dated 30.04.2015, all Nodal Officers appointed for the Unit Offices are also requested to review the progress of cases related to encroachment on Government/acquired land belonging to the Corporation, for which a Committee under the chairmanship of SDM concerned has been constituted vide Order Order No.IPI (Acq.)/1290/2015 dated 19.02.2015 (copy enclosed).

  
(Veenu Gupta)  
Managing Director

All Nodal Officers

All Unit Heads

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड  
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302005

क्रमांक:आईपीआई (अ.)/1290/2015/221  
दिनांक: 19 फरवरी, 2015

कार्यालय आदेश


निगम प्रबंधन की जानकारी में यह लाया गया है कि कुछ औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु अवाप्तशुदा/आवंटित भूमि के कुछ भाग पर स्थानीय निवासियों द्वारा पक्के स्ट्रक्चर्स अथवा आवासीय बस्ती के रूप में अनाधिकृत कब्जा कर अतिक्रमण किया हुआ है एवं निगम के भरसक प्रयासों के उपरांत भी ऐसी भूमि अथवा उसके भू-भाग को कानून एवं व्यवस्था की दृष्टि से अतिक्रमण से मुक्त करा कर भौतिक कब्जा लिया जाना व्यावहारिक रूप से कठिन है।

अतः ऐसी अतिक्रमित भूमि का सर्वे/निरीक्षण करने हेतु निम्न अधिकारियों की एक समिति का गठन एतद् द्वारा किया जाता है:-

1. संबंधित उप खण्ड अधिकारी
2. संबंधित इकाई प्रभारी
3. संबंधित स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि
4. संबंधित उप नगर नियोजक/सहायक नगर नियोजक/जिला नियोजक अधिकारी
5. संबंधित इकाई कार्यालय में पदस्थापित नियोजन शाखा के अधिकारी/कर्मचारी

उक्त समिति उक्त वर्णित अतिक्रमित भूमि का मौके पर जाकर मुआयना करेगी और मौके पर हो रही बसावट, बिजली-पानी के कनेक्शन, सघन आबादी, उक्त भूमि से संबंधित पते पर जारी हो चुके पहचान दस्तावेज यथा राशन कार्ड, परिचय पत्र इत्यादि, उक्त अतिक्रमण से औद्योगिक क्षेत्र के नियोजन पर पड़ने वाले प्रभाव आदि बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए अपनी अनुशंसा संलग्न प्रोफार्मा में निगम प्रबंधन को प्रस्तुत करेगी। निगम प्रबंधन द्वारा प्रत्येक प्रकरण का समिति की अनुशंसाओं के परिप्रेक्ष्य में गुणावगुण के आधार पर परीक्षण कर यथोचित निर्णय सक्षम स्तर पर लिया जावेगा।

उक्त आदेश प्रमुख शासन सचिव, उद्योग एवं प्रबंध निदेशक महोदया, रीको से अनुमोदित हैं।

  
(ललित कुमार)  
सलाहकार (इन्फ्रा)

प्रतिलिपि:

1. प्रमुख निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
2. प्रमुख निजी सचिव, स्थानीय निकाय विभाग।
3. प्रमुख निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उद्योग
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग।
5. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान।
7. समस्त इकाई प्रभारी, रीको।

समिति द्वारा अतिक्रमित भूमि के संबंध में भिजवायी जाने वाली सूचना एवं की जाने वाली अनुशंसा हेतु निर्धारित प्रोफार्मा

(अ) भूमि का विवरण

1. भूमि की किस्म (राजकीय/निजी)
2. आवंटन/अवाप्ति का वर्ष
3. कुल अवाप्त/आवंटित क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
4. भूमि का कब्जा लेने की तिथि
5. सम्पूर्ण भूमि की अवाप्ति/आवंटन का कब्जा लेने से पूर्व का अतिक्रमण है अथवा बाद का, एतद् पश्चात् अतिक्रमित हुई है।
6. अवाप्तशुदा/आवंटित भूमि के एवज में भुगतान की गई मुआवजा/प्रिमियम राशि।
7. उक्त अतिक्रमित भूमि के क्षेत्रफल के एवज में भुगतान की गई मुआवजा/प्रिमियम राशि।

(ब) भूमि की मौका स्थिति

1. अतिक्रमित भूमि का क्षेत्रफल
2. अतिक्रमण की प्रकृति
3. यदि आवासीय कॉलोनी बंसी हुई है, तो निवास कर रहे परिवारों एवं व्यक्तियों की संख्या
4. क्या मौके पर अतिक्रमियों द्वारा बिजली पानी के कनेक्शन लिये हुए हैं अथवा नहीं?
5. क्या अतिक्रमियों द्वारा उक्त भूमि के पते पर किसी सरकारी एजेंसी से कोई पहचान पत्र/फोटो पहचान पत्र प्राप्त किया गया है, यदि हां तो उसका विवरण।
6. अतिक्रमियों के पास कोई स्वत्व दस्तावेज है तो उसका विवरण।
7. अतिक्रमित भूमि में प्रदत्त आधारभूत सुविधाओं यथा पानी-बिजली, सड़क आदि का विवरण।
8. उक्त अतिक्रमित क्षेत्र किस स्थानीय निकाय/नगर विकास न्यास/विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में आता है?

(स) मुआवजे की वैधानिक स्थिति

1. उक्त अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजे की राशि क्या काश्तकारों के द्वारा प्राप्त कर ली गई है?
2. यदि काश्तकारों द्वारा प्राप्त नहीं की गई है, तो क्या रेफरेंस के माध्यम से कोर्ट में जमा करादी गई है? यदि हां, तो रेफरेंस आवेदन की वर्तमान स्थिति।
3. यदि काश्तकारों द्वारा भी प्राप्त नहीं की गई है और रेफरेंस कोर्ट में भी जमा नहीं है, तो मुआवजे की राशि की वर्तमान स्थिति और इकाई कार्यालय द्वारा किये गये प्रयत्नों का विवरण।

(द) भूमि के स्वामित्व संबंधी वैधानिक स्थिति

1. क्या भूमि का नामांतरण निगम के पक्ष में हो चुका है अथवा नहीं?
2. यदि भूमि का नामांतरण निगम के पक्ष में नहीं है, तो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति।

(2)

3. क्या भूमि के संबंध में किसी न्यायालय में कोई वाद/रिट विचाराधीन है, यदि हां तो, उसका विवरण व नवीनतम स्थिति मय स्थगन आदेश यदि कोई प्रभावी हो तो। (आवश्यकता होने पर अलग से दस्तावेज संलग्न किये जावें)।

(य) समिति की अनुशंसा

1. अतिक्रमण, खातेदारों/हितबद्धधारियों द्वारा किये जाने एवं नकद मुआवजा प्राप्त नहीं किये जाने के कारण तत्समय प्रचलित नीति/वर्तमान नीति के अनुरूप नकद मुआवजे के एवज में विकसित भूमि आवंटन किया जाना उचित होगा अथवा नहीं, इस संबंध में समिति के सुझाव।
2. अतिक्रमण की प्रकृति को देखते हुए जिला प्रशासन एवं पुलिस इमदाद से अतिक्रमण हटाया जाना संभव है, अथवा नहीं इस संबंध में समिति की अनुशंसा।
3. मौके की विशेष परिस्थितियों, प्रश्नगत भूमि के संबंध में न्यायिक निर्णय एवं भूमि की लोकेशन को देखते हुए विशेष सुझाव, यदि कोई हों तो।

.....